रेशम निदेशालय उत्तराखण्ड
के
संगठन की विशिष्टियॉ, कृत्य और कर्तव्य

(The particulars of its organization, functions and duties)

1) रेशम निदेशालय, उत्तराखण्ड का उद्देश्य :–

रेशम निदेशलाय के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार है : –

- ग्रामीण एवं उद्योग शून्य क्षेत्रों में रेशम कीटपालन संबंधी स्वरोजगार का सरलतम साधन उपलब्ध कराना।
- महिलाओं, बेरोजगार युवाओं तथा सीमान्त व भूमिहीन कृषकों की आर्थिक आत्मनिर्भरता में सुधार कराना।
- ग्रामवासियों का शहरों की ओर पलायन रोकने व कृषि पर अधिक जैविक भार कम करते हुये अल्प पूॅजी पर ग्रामीण आर्थिकी का विकास करना।
- क्षेत्र में उपलब्ध श्रमशक्ति तथा संसाधनों को नियोजित करते हुये आर्थिक गतिविधि की ओर प्रेरित करना तथा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का अर्जन करनें में सहायता प्रदान करना।

2) रेशम निदेशालय का मिशन/विजन :–

- प्रक्षेत्र में प्रचुर मात्रा में शहतूती एवं गैर शहतूती रेशम कीटों की भोज्य पौध का विकास करना ताकि अधिकाधिक युवाओं व कृषकों को इस रोजगारपरक कार्यक्रम से जोड़ा जा सके।
- रेशम सबंधी विविध उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्वि के साथ – साथ मात्रात्मक वृद्वि सुनिश्चित करना।
- इच्छुक व्यवसायियों / उद्यमी कृषकों को विविध विषयों का तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना ताकि उनकी उत्पादकता तथा कार्य कुशलता में वृद्वि हो सके।
- रेशम सहकारी समितियों, स्वंय सहायता समूहों तथा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से रेशम कार्यक्रम का व्यापक प्रसार करना।
- क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन के साथ–साथ कच्चे माल की स्थानीय खपत में वृद्वि हेतु रेशम धागाकरण तथा ट्विस्टिंग आदि अवस्थापनाओं का विकास करना।
- निजी क्षेत्र में रेशम धागाकरण इकाई मशीन की स्थापना के साथ रेशम वस्त्र बुनाई हेतु बुनकरों को चिन्हित कर प्रशिक्षण आदि के माध्यम से दक्षता प्रदान करना।
- उत्पादों की मार्केटिंग हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों तथा क्रेता–विक्रेता सम्मेलनों का आयोजन करना।
- प्रदेश में रेशम वस्त्रों की बुनाई हेतु उद्यमियों को प्रशिक्षण के उपरान्त दक्ष बनाना है।
- वन आधारित वन्या रेशम का विशेष कार्ययोजना के अधीन विकास ।

3) रेशम निदेशालय का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग :–

उत्तराखण्ड में रेशम उद्योग का इतिहास बहुत पुराना हैं सर्वप्रथम कैप्टन हटन नामक एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा वर्ष 1858 में मंसूरी, देहरादून में रेशम कीटपालन का प्रायोगिक परीक्षण प्रारम्भ किया गया बाद में वर्ष 1881 में लिस्टर एंड कम्पनी द्वारा **रेशम माजरी** गॉव जो देहरादून –हरिद्वार राजमार्ग पर स्थित है , में रेशम उद्योग का कार्य व्यवस्थित रूप से प्रारम्भ किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् स्थिति की उपयुक्तता को दृष्टिगत रखते हुए रेशम कीटपालन कार्य सुनियोजित रूप से प्रारम्भ किया गया तथा सदी के पॉचवें से सातवें दशक के मध्य क्षेत्र में 72 चॉकी कीटपालन केन्द्र/ शहतूत उद्यानों की स्थापना की गई। जिनमें क्षेत्रफल–421.87 एकड़ है। वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य बहुमूल्य बाईवोल्टीन प्रजाति का रेशम कोया उत्पादित करने वाला एक प्रमुख राज्य है।

4) रेशम निदेशालय के कर्तव्य :–

रेशम निदेशालय द्वारा रेशम उद्योग के विकास हेतु मूलभूत सुवधाऐं कृषकों / कीटपालकों को सत्त उपलब्ध कराई जाती है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

- कृषकों को उन्नतशील प्रजाति की शहतूत कटिंग्स व सैपलिंग्स उपलब्ध कराना।
- नियंत्रित मूल्य पर चॉकीकृत रेशम कीट कृषकों को उपलब्ध कराना।
- निःशुल्क तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना।
- समयबद्व विपणन व्यवस्था व उत्पाद (कोया) का भुगतान सुनिश्चित कराना।
- निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, जिसमें शहतूत वृक्षारोपण, चॉकी कीटपालन, उत्तरावस्था, कीटपालन, रोग नियंत्रण विशुद्वीकरण, कोयाकरण, रेशम रीलिंग, री–रीलिंग, ट्विस्टिंग, वीविंग आदि महत्वपूर्ण विषय सम्मिलित है।
- प्रगतिशील कृषकों को अंतर्राज्जीय शैक्षणिक भ्रमण।
- उत्साही कृषकों को विभिन्न योजना/परियोजनाओं के अधीन अवस्थापना सहायता व कीटपालन सामग्री उपलब्ध कराना।
- इच्छुक धागाकरण उद्यमियों को रीलिंग, ट्विस्टिग कार्य हेतु अवस्थापना सहायता व सामग्री उपलब्ध कराना।
- इच्छुक धागाकरण उद्यमियों को रीलींग, ट्विस्टिग कार्य हेतु अवस्थापना सुविधा सृजित करने हेतु प्रोत्साहन सहायता व संस्थागत ऋण की व्यवस्था में सहायता।
- निजी धागाकरण उद्यमियों द्वारा उत्पादित रेशम धागे पर प्रोत्साहन धनराशि उपलब्ध कराना।
- ओक टसर बुनकरों को बुनाई अवस्थापना के विकास हेतु उपकरण व उत्पादों के विक्रय हेतु विपणन व्यवस्था उपलब्ध कराना।
- विशुद्वीकरण कार्य हेतु औषधियों/रसायनों की अर्थसहाय मूल्य पर आपूर्ति करना।
- नवीनतम तकनीकियों का क्षेत्र में निःशुल्क हस्तानान्तरण।
- जनजागृति एवं उत्प्रेरण, विकास तथा गुणवत्ता संवर्धन हेतु कृषक दिवसों, सेमीनार व कार्यशालाओं का आयोजन।

5) रेशम निदेशालय के मुख्य कृत्य :–

रेशम निदेशालय के मुख्य कृत्य निम्नवत् है –

- नर्सरी धारकों को उन्नतशील प्रजाति की कटिंग्स आपूर्ति।
- वृक्षारोपकों को शहतूत पौध की आपूर्ति।
- नि:शुल्क प्रशिक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन।
- जनचेतना जागृत करने व उत्प्रेरण हेतु गोष्ठियों, सेमीनार एवं कार्यशालाओं का आयोजन ।
- कृषकों को चॉकीकृत रेशम कीटों की आपूर्ति।
- उत्पादों की मार्केटिंग व्यवस्था।
- रेशम धागाकारों तथा बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध कराने की व्यवस्था।
- रेशम विकास की विभिन्न योजनाऐं/परियोजनाऐं संचालित कर कृषकों को लाभान्वित करना।
- अध्ययन अनुसंधान एवं शोध के आधार पर नवीनतम तकनीकी का प्रसार एवं कृषकों को हस्तान्तरण।

6) रेशम निदेशालय द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण :–

रेशम निदेशालय द्वारा कृषकों, उद्यमियों तथा समितियों को विभिन्न विषयों से संबंधित सूचनाऐं उपलब्ध कराई जाती है जिनमें से प्रमुख सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :–

- शहतूती नर्सरी स्थापित करने के संबंध में, निजी क्षेत्र में इच्छुक नर्सरी कृषकों का चिन्हित किया जाता है तथा नर्सरी स्थलों का निरीक्षण के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर नर्सरी कार्यक्रम हेतु उन्हें चयनित किया जाता है।
- वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्र के समस्त कृषकों को संसूचित करते हुये इच्छुक कृषकों का चयन किया जाता हैं। चयनित कृषकों के प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का निरीक्षण कर वृक्षारोपण से पूर्व प्रारम्भिक तैयारियॉ पूर्ण कर ली जाती है।
- निदेशालय द्वारा चॉकी कीटपालन कार्य संपन्न करने के उपरान्त रेशम कीट प्राप्त करने हेतु संबंधित रेशम सहकारी समितियों , स्वंय सहायता समूहों तथा कीटपालकों /कृषकों को एत्द्विषयक सूचना उपलब्ध कराई जाती है तथा तद्नुसार चॉकीकृत रेशम कीट संबंधितों को उपलब्ध कराये जाते है।
- सामुदायिक चॉकी कीटपालन कार्य करने वाली रेशम सहकारी समितियों को प्रत्येक कीटपालन फसल से पूर्व सूचित किया जाता है तथा मॉग के अनुसार चॉकी कीटपालन कार्य हेतु रेशम कीटाण्डों की आपूर्ति की जाती है।
- प्रदेश में प्रत्येक कीटपालन फसल की हार्वेस्टिंग से पूर्व कोया बाजारों के आयोजन की सूचना प्रदेश के समस्त रेशम व्यवसायियों के साथ – साथ अन्य प्रदेशों जैसे कर्नाटक , उत्तरक्षेत्र तथा पंश्चिम बंगाल आदि के कोया क्रेताओं को सूचना दी जाती है।

7) रेशम निदेशालय का विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक ढॉचा :–

राज्य गठन के समय निदेशालय हेतु कुल 339 पदों का सृजन किया गया। वर्तमान में प्रदेश के 13 जनपदों में रेशम विकास गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में उपलब्ध कार्मिकों के सापेक्ष विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार निदेशालय का ढॉचा अस्तिव में है–

मुख्यालय स्तर	निदेशक
	संयुक्त निदेशक
	सहायक निदेशक
मण्डल स्तर	उपनिदेशक, कुमायू मण्डल, हल्द्वानी
	उपनिदेशक, गढ़वाल मण्डल, श्रीनगर
जनपद स्तर	सहायक निदेशक, चमोली
	सहायक निदेशक, अल्मोड़ा
	सहायक निदेशक, पौड़ी–कोटद्वार
	सहायक निदेशक, देहरादून
	सहायक निदेशक, हरिद्वार
	सहायक निदेशक, उधमसिंह नगर
	सहायक निदेशक, डून्डा उत्तरकाशी

8) रेशम निदेशालय की कार्य दक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाऐं :–

निदेशालय कार्यक्रमों की सफलता तथा सेवाओं के प्रतिपादन में उत्कृष्ठता हेतु निम्नानुसार जन सहयोग अपेक्षित है :–

- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई तकनीकियों का समुचित एवं सटीक उपयोग करना।
- निदेशालय द्वारा प्रदत्त तकनीकी मार्गदर्शन का अनुपालन।
- गुणवत्ता संवर्धन एवं नियंत्रण हेतु किये जा रहे प्रयासों का कियान्वयन।
- जनजागृति, उत्प्रेरण एवं कार्यशालाओं में प्राप्त संस्तुतियों का क्षेत्र में उपयोग।
- उत्पादों की मात्रा/संस्था तथा गुणवत्ता में वृद्वि करने के संबंध में हस्तान्तरित की जा रही तकनीक का निदेशालयीय कार्यो में उपयोग सुनिश्चित करना।
- उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ानें के प्रति संवेदनशीलता।

9) जन सहयोग सुनिश्चित करने की विधि/व्यवस्था

- क्षेत्र स्तर पर गोष्ठियों , बैठकों के आयोजन के माध्यम से ।
- केन्द्र एवं ग्राम स्तर के वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा उल्लेखित प्रगति का स्थलीय समापन एवं मूल्याकंन।
- कार्यरत रेशम सहकारी समितियों तथा स्वंय सहायता समूहों के माध्यम से।

10)जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था :–

- निदेशालय द्वारा कियाकलापों का सघन अनुश्रवण एवं समीक्षा नियमित मासिक बैठकों में की जाती है।

- मण्डल तथा जनपदीय स्तर के अधिकारियों द्वारा विकासखण्ड एवं ग्राम स्तर पर संचालित कार्यक्रमों का निरीक्षण किया जाता है।
- निदेशक द्वारा भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कराये जा रहे निदेशालय कार्यक्रमों का निरीक्षण निरन्तर किया जाता है।
- क्रियाकलापों का प्रमुख सचिव, शासन की अध्यक्षतायुक्त राज्य स्तरीय रेशम समन्वय समिति (एस.एल. एस.सी.सी.) द्वारा अनुश्रवण एवं समीक्षा।
- कृषक अथवा ग्राम स्तर पर प्राप्त शिकायतों/कठिनाईयों का निराकरण प्रथमतः संबंधित केन्द्र प्रभारी तथा निरीक्षक (ब्लाक स्तर) पर ही कर लिया जाता है।
- प्रक्षेत्र से प्राप्त शिकायतों का निपटारा जनपद स्तर पर भी तत्परता के साथ पूर्ण कर लिया जाता है।

11)मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते :–

रेशम निदेशालय उत्तराखण्ड के मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर स्थापित कार्यालयों के पते तथा दूरभाष एवं ईमेल आई0डी0 निम्नवत् है।

स्तर	पदनाम	कार्यरत स्थान	एस.टी.डी.कोड	दूरभाष नं0 (कार्यालय)
निदेशालय	निदेशक	रेशम निदेशालय, प्रेमनगर देहरादून	0135	2773227
	संयुक्त निदेशक	रेशम निदेशालय, प्रेमनगर देहरादून	0135	2773227
	सहायक निदेशक	मुख्यालय, रेशम निदेशालय, प्रेमनगर देहरादून	0135	2773227
मण्डल	उपनिदेशक	हल्द्वानी–नैनीताल	05946	261596
मण्डल	उपनिदेशक	श्रीनगर–गढ़वाल	01346	250615
जनपद	सहायक निदेशक	गोपेश्वर–चमोली, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर, देहरादून, पौड़ी–कोटद्वार हरिद्वार, कोटद्वार डून्डा उत्तरकाशी	01372 05962 – 0135 – – – –	252543 230414 – 2773227 – – – –

12)कार्यालय खुलने एवं बंद होने का समय –

- **निदेशालय नियंत्रक कार्यालय –** खुलने का समय – **प्रातः 10.00 बजे**
  बंद होने का समय – **सायं 5.00 बजे**
- **तकनीकी केन्द्र –** खुलने का समय – **प्रातः 8.00 बजे**
  बंद होने का समय – **सायं 5.00 बजे**